-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 18.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कमासिन पुलिस द्वारा अवैध रुप से पटाखा बनाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। मौके से भारी मात्रा में निर्मित/अर्द्धनिर्मित पटाखे व विस्फोटक व पटाखा बनाने की सामग्री, बारुद, विस्फोटक/रासायनिक पदार्थ आदि बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अवैध रुप से पटाखा निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना कमासिन पुलिस द्वारा अवैध रुप से पटाखा बनाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि कल दिनांक 17.10.2025 को देर शाम को थाना कमासिन पुलिस को गश्त एवं चेकिंग के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम राछा में एक व्यक्ति अपने घर के अन्दर अवैध रुप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है। प्राप्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर जाकर छापेमारी कर अवैध रुप से पटाखों का निर्माण कर रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मौके से निर्मित एवं अर्धनिर्मित पटाखे, बारूद, विस्फोटक रासायनिक पदार्थ, पटाखे बनाने के उपकरण एवं निर्माण में प्रयुक्त आदि सामग्री बरामद की गई।

बरामदगी-

- 55 बड़े निर्मित पटाखे (बारूद भरा)
- 2.5 किलोग्राम बारुद
- 02 किलोग्राम गंधक
- 01 हजार छोटे/बड़े अर्ध निर्मित पटाखे (बारूद भरा)
- पटाखे बनाने में प्रयुक्त पोटाश, चमकिला पदार्थ, रैपर/गत्ता आदि

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चुनवाद पुत्र गोरेलाल निवासी राछा थाना कमासिन जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 278/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कमासिन जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री दीपक सैनी
2. सचिन कुमार
    1. कां0 हरिनाथ सिंह
    2. कां0 शुभम सिंह